


नारेन्द्र प्रसाद विरुद्ध म.प्र. शासन आदि

XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0212)-दो/14

जिला - सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.7.14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24-8-13 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24-5-14 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ विलंब के संबंध में कोई आवेदन अवधि विधान की धारा 5 का प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में विलंब क्षमा का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः यह अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। आवेदक सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>() ( एम.के. सिंह ) सदस्य, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर</p>

न्यायालय श्रीमान् रेबनू बोर्ड मण्डल ग्वालियर पीटासीन अधिकारी महोदय  
ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)



R. 301-

270  
24.5.14

अपील प्रकरण क्रमांक ..... / 14

नारेन्द्र प्रसाद पाण्डेय पिता श्री स्व. बालमुकुन्द पाण्डेय उम्र 62 वर्ष पेशा कृषि  
निवासी ग्राम इन्द्रप्रस्थ नगर कोतरकला सीधी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी

श्री. विवेक कुमार दुवे (म.प्र.)  
द्वारा आज दिनांक 24.5.14 को  
प्रस्तुत किया गया।

-----अपिलार्थी

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. स्व.राममणि गुप्ता पिता स्व. सरजोबानी उम्र 40 वर्ष पेशा खेती
3. मगलेश्वर गुप्ता पिता स्व. राममणि गुप्ता उम्र 40 वर्ष पेशा खेती
4. सूर्य नारायण गुप्ता पिता स्व. राममणि गुप्ता उम्र 35 वर्ष पेशा खेती
5. राकेश गुप्ता स्व. राममणि गुप्ता उम्र 30 वर्ष पेशा खेती
6. शान्ति गुप्ता स्व. राममणि गुप्ता उम्र 70 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम कोतर कला सीधी तहसील गोपदन बनास जिला सीधी (म.प्र.)

-----उत्तरवादीगण

अपील विरुद्ध प्रस्ताव न्यायालय श्रीमान्  
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला सीधी (म.प्र.) श्री  
विवेक कुमार दुवे प्रकरण क्रमांक 57/बी-103  
धारा 33/2012-13 आदेश दिनांक 24.08.  
2013 को निरस्त किये जाने बावत्।

अपील अन्तर्गत धारा 1(7)(2) भारतीय स्टाम्प  
अधिनियम

मान्यवर,

निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपील प्रस्तुत है :-

अपील के सूक्ष्म तथ्य :-

*[Handwritten signature]*